321
12/9/12

खण्ड - 9

सत्यमेव जयते

संख्या - 11

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि : 8 जुलाई, 1988 ई०

---

(2) यह बात सही नहीं है। श्री उपाध्याय को 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किया जाता है।

(3) श्री उपाध्याय 58 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् दिनांक 30 जून, 1983 को सेवा-निवृत होने वाले थे। लेकिन उनकी सेवा-पुस्ति एवं अन्य कागजातों की अनुपलब्धता के कारण वे 31 दिसम्बर, 1983 तक सेवा में बने रहे।

अतः उक्त छः माह के लिए भुगतान हुई राशि को समायोजन की दृष्टि से तत्काल 3,904 रु. 40 पैसे की कटौती औपबंधिक ग्रेच्युटी की राशि से कर ली गई है। वित्त विभाग की सहमति से उनकी दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक सेवा विस्तार कर सेवा नियमित करने की कार्रवाई की जा रही है तथा इस पर निर्णय के बाद कटौती की राशि को सामंजित कर दिया जायेगा।

(4) यथा कंडिका-3 के आलोक में यह कटौती अनियमित नहीं कहलायेगी। शेष अंश का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भाटिया के विरुद्ध कार्रवाई

ख-8. श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री उमाधार प्र० सिंह : क्या मंत्री, खनन् एवं भूतत्त्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री सुरेश कुमार भाटिया, जिला खनन् पदाधिकारी, सिंहभूम ने बिना सरकारी आदेश प्राप्त किये अपने निवास स्थान पर सरकारी टेलीफोन नं० 6242 का एक्सटेंशन लगाकर 1984 से जुलाई, 1986 तक अपने व्यक्तिगत कौल से संबंधित एक लाख रुपया टेलीफान

विपत्र का भुगतान किया है, यदि हाँ तो इस अनियमितता के लिए सरकार उनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, खनन् एवं भूतत्त्व विभाग : वस्तुस्थिति यह है कि श्री सुरेश कुमार भाटिया द्वारा जिला खनन् पदाधिकारी, जमशेदपुर के रूप में पदभार ग्रहण करने के पूर्व से ही सरकारी टेलीफोन संख्या 6242 का एक्टेंशन जिला खनन् पदाधिकारी, जमशेदपुर के आवास में था। दिनांक 16 जनवरी, 1984 से 17 अगस्त, 1986 तक श्री भाटिया जिला खनन् पदाधिकारी, जमशेदपुर में थे। इस अवधि में उक्त टेलीफोन का विपत्र मात्र 22,663 रुपया का भुगतान किया गया है। यह राशि अग्रिम बाहुल्य जिला के लिए अत्यधिक नहीं माना जायेगा। उक्त राशि सरकारी कॉल से संबंधित है।

उपर्युक्त परिस्थिति में श्री भाटिया के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।